

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
प्रधान सचिव

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-...03/08./2018

विषय:- संविदा आधारित तकनीकी सहायक एवं लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक के पदों पर नियोजन हेतु सूचना प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

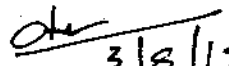
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25.07.2018 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अन्तर्गत 2096 तकनीकी सहायक एवं 2096 लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक को संविदा आधारित नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस नियोजन के विज्ञापन प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य से प्रकाशित सभी लोकप्रिय दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

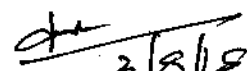
अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


3/8/18
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापक:-3प/विविध-17-20/2018/.....५११३...../पं0रा0 पटना, दिनांक-03/08./2018

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को पत्रांक-4202 दिनांक-31.07.2018 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि रोस्टर निर्धारण दिनांक-14.08.2018 तक सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।


3/8/18
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना अन्तर्गत लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों एवं तकनीकी सहायकों के चयन संबंधी सूचना

राज्य सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु संविदा नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है।

संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदों का नाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार हैं:-

क्र०	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह मानदेय	नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5
1.	तकनीकी सहायक	2096	27000	मान्यता प्राप्त पोलिटेक्निक से सिविल इंजिनयरिंग में डिप्लोमा
2.	लेखापाल-सह-आई०टी० सहायकों	2096	20000	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी० कॉम उत्तीर्ण। एम०कॉम/सी०ए० करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का बोनस दिया जायेगा।

2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता:-

- (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
- (ख) उम्र सीमा-विज्ञापन की तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना द्वारा सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप होगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735 दिनांक 22.06.2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत लागू होगी:-

- (क) अनारक्षित वर्ग (पुरुष) — 37 वर्ष
- (ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) — 40 वर्ष
- (ग) अनारक्षित वर्ग (महिला) — 40 वर्ष
- (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) — 42 वर्ष

4. आवेदन की प्रक्रिया:-

- (i) आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है।
- (ii) यदि कोई अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अर्हता रखते हो तो दोनों पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।

- (iii) ऑनलाईन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक <http://biharprd.bih.nic.in/recruitment.htm> पर करना होगा। ऑनलाईन आवेदन करने की समयसीमा एवं जिलावार आरक्षण कोटिवार रिक्ति का विवरण विभागीय वेबसाइट पर इसी लिंक पर 16.08.2018 से द्रष्टव्य होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जा सकेंगे।

5. मेधा सूची का निर्धारण:-

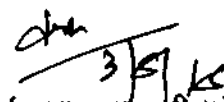
- (i) लेखापाल-सह-आईटी सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी० कॉम होगी। बी० कॉम में प्राप्त प्रतिशत अंक इस प्रयोजनार्थ अंक माने जायेंगे। बी० कॉम के उपरान्त एम० कॉम/सी० ए० करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। बी० कॉम में प्राप्त अंकों तथा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। चयनित कर्मियों को 3 माह में कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी।
- (ii) तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। ऑनलाईन आवेदनों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे।
- (iii) मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

6. दोनों पदों पर चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन निम्नवत् किया गया है:-

- (i) जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष
- (ii) उप विकास आयुक्त - उपाध्यक्ष
- (iii) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी (जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे) - सदस्य
- (iv) अल्पसंख्यक वर्ग के एक पदाधिकारी (जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे) - सदस्य
- (v) जिला पंचायत राज पदाधिकारी - सदस्य सचिव

7. संविदा एकरारनामा:- यह चयन संकल्प सं०-4046 दिनांक 25.07.2018 के आलोक में किया जायेगा जिसकी प्रति विभागीय वेबसाइट <http://biharprd.bih.nic.in/recruitment.htm> पर उपलब्ध है। संविदा शर्तों के अनुसार एकरारनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ किया जायेगा।

8. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन संकल्प सं०- 4046 दिनांक 25.07.2018 के अधीन होगा।


(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव